

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(21)एम.ई. / ग्रुप-1 / 2015

जयपुर, दिनांक: 1-8 MAY 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार **कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी** विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर देवे। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

वरिष्ठ आचार्य / आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० आर.एम. माथुर	सामान्य	25.09.1957	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ० अनिल शर्मा	सामान्य	01.09.1961	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
3.	डॉ० विजय नैथानी	सामान्य	04.08.1963	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० राजकुमार यादव	अपिजा	01.01.1960	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018
5.	डॉ० संजीव देवगढ़ा	सामान्य	15.09.1969	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018

सह-आचार्य

1.	डॉ० रामगोपाल यादव	अपिजा	05.02.1964	2019-20	01.04.2019
2.	डॉ० अनुला सिसोदिया	सामान्य	18.09.1962	2019-20	01.04.2019
3.	डॉ० सुनील दीक्षित	सामान्य	28.04.1978	2019-20	01.04.2019
4.	डॉ० हेमलता वर्मा	अजा	18.12.1978	2019-20	01.04.2019

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि / कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० सुभाष बलारा	सामान्य	18.05.1979	09.11.2012 (डेफर प्रकरण)
2.	डॉ० सर्वेश शर्मा	सामान्य	30.11.1976	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
3.	डॉ० मोहित शर्मा	सामान्य	23-03-1979	26.10.2017
4.	डॉ० ध्रुव शर्मा	सामान्य	10.09.1981	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
5.	डॉ० अभिनव सिंह	सामान्य	25.03.1979	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
6.	डॉ० कृष्ण कुमार मावर	अजा	24.09.1970	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
7.	डॉ० रामस्वरूप सैन	अपिव	22.07.1968	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
8.	डॉ० राजेश कुमार शर्मा	सामान्य	30.06.1968	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)

आज्ञा से

(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव